बजट Budget

बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द Bougette से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या बटुआ।इस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री वालपोल के समयThe Budget opened नामक व्यंग्य में किया गया था। राजकोष के चांसलर हाउस ऑफ कॉमन्स में देश के लिए वित्तीय योजनाओं पर कागजात वाले चमड़े के बैग को ले जाते थे जब वह अपनी वित्तीय योजनाओं को सदन के सामने रखने के लिए निकालते थे, तो वह अपना 'बजट', यानी बैग खोलते थे। यह वित्तीय योजना के 'Bougette' के साथ जुड़ाव के कारण ही वित्तीय विवरण एक देश के बजट के रूप में जाना जाने लगा है।

आधुनिक समय में बजट शब्द उस दस्तावेज को दर्शाता है जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किसी देश के राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। 'बजट' शब्द की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

👉"बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत के वित्तीय अनुभव को सारांशित करती है, वर्तमान योजना को बताती है और भविष्य में एक निर्दिष्ट अवधि में इसे पेश करती है।" —डिमॉक

👉"बजट एक वित्तीय विवरण है, जो अनुमानित राजस्व और वित्तीय वर्ष सुनिश्चित करने के लिए दिए गए संगठन के प्रस्तावित व्यय के वित्तीय वर्ष के उद्घाटन से पहले तैयार किया जाता है।" —हार्लोद आर. ब्रूस

👉"बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तपोषण की एक योजना है। इसमें एक ओर सभी राजस्व और दूसरी ओर सभी व्ययों का मदबद्ध अनुमान शामिल है।" —मुनरो

👉 "बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई होती है।" - Rene Stourm

👉"एक आधुनिक राज्य में बजट सभी सार्वजनिक प्राप्तियों और खर्चों का पूर्वानुमान है और कुछ खर्चों व प्राप्तियों के लिए उन्हें खर्च करने और उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक प्राधिकरण है।" —G. Jeze

👉 "बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की एक वित्तीय योजना है।" = Taylor

👉 कौटिल्य- ”सारे काम वित्त पर निर्भर हैं । अत: सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर देना चाहिए ।”

👉 हूवर आयोग- ”वित्तीय प्रशासन ‘आधुनिक सरकार का मर्म’ है ।”

👉 विलोबी- ”बजट ‘प्रशासन का अभिन्न और अनिवार्य औजार’ है ।”

👉 लॉयड जॉर्ज- ”सरकार वित्त है ।”

👉 मॉरस्टेन मार्क्स- "प्रशासन में वित्त वातावरण में ऑक्सीजन की तरह ही सर्वव्यापी है।"

बजट की उक्त परिभाषाओं से बजट के अग्रलिखित अभिलक्षण प्रकट होते हैं:

(i) यह अपेक्षित राजस्व और प्रस्तावित व्यय का विवरण है;
(ii) इसे स्वीकृत करने के लिए कुछ प्राधिकरण की आवश्यकता होती है;
(iii) यह सीमित अवधि के लिए है, आम तौर पर यह वार्षिक होता है;
(iv) यह उस प्रक्रिया और तरीके को भी निर्धारित करता है जिसमें राजस्व का संग्रह और व्यय का प्रशासन निष्पादित किया जाना है।

बजट वह केंद्र होता है जिसके चारों ओर राज्य की वित्तीय गतिविधियां चलती हैं। यह सभी वित्तीय कार्यों का पैमाना व सीमा दोनों है। वित्तीय प्रबंधन के क्रमिक विकास के साथ, इसमें न केवल सार्वजनिक राजस्व और व्यय की एक योजना शामिल हो गई है, बल्कि "भौतिक वित्त की संपूर्ण स्थिति, जैसा कि विधायिका के समक्ष रखे गए सरकार के मंत्रिस्तरीय बयान और वित्तीय मामलों के व्यवस्थित प्रशासन में प्रकट किया गया है।" यह न केवल वर्ष के 'हाउसकीपिंग' और आने वाले वर्ष का लेखा-जोखा देता है, जहां तक राज्य का संबंध है, बल्कि यह राज्य के वित्तीय मामलों के नियंत्रण का आधार है जिसे एक परिवार माना जाता है। यह सरकार के दैनिक कार्यों में अत्यधिक महत्व की घटनाओं की एक सतत श्रृंखला को गति प्रदान करता है।"

प्रो. विलोबी के अनुसार "यह एक प्रतिवेदन, एक अनुमान और एक प्रस्ताव है, या होना चाहिए। यह एक दस्तावेज है, या होना चाहिए, जिसके माध्यम से मुख्य कार्यकारी...फंड जुटाने और फंड देने वाले प्राधिकरण के सामने आता है और पूरी प्रतिवेदन देता है, जिस तरह से उसने या उसके अधीनस्थों ने पिछले पूरे वर्ष के दौरान मामलों को प्रशासित किया है जिसमें वह सरकारी खजाने की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है, और इस तरह की जानकारी के आधार पर आने वाले वर्ष के लिए अपना कार्य कार्यक्रम और जिस तरीके से वह प्रस्तावित करता है कि इस तरह के काम को वित्तपोषित किया जाएगा। इस प्रकार, बजट "एक प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक धन के अनुमान के साथ।" यह कार्ययोजना है।

● **सामाजिक और आर्थिक नीति के एक साधन के रूप में बजट:-** यह राज्य के कार्यक्रमों को यथासंभव कुशलता से निष्पादित करने की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि उन पर खर्च किए गए धन के लिए अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सकें। "एक अर्थ में

संपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को एक ही उद्देश्य के रूप में अर्थव्यवस्था और दक्षता की प्राप्ति के रूप में कहा जा सकता है; देश के दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका निर्धारण दुर्लभ संसाधनों के विचलन, कराधान और अन्य तरीकों के माध्यम से, निजी से सार्वजनिक उपयोग के लिए और विभिन्न सरकारी उपयोगों के बीच उन संसाधनों के आवंटन द्वारा किया जा सकता है। इस तरह के निर्धारण में दोनों प्रश्न शामिल हैं कि कौन से कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और उन्हें कैसे निष्पादित किया जाना चाहिए।

अहस्तक्षेप के दिनों में, बजट अनुमानित आय और व्यय का एक साधारण विवरण था, लेकिन अब आधुनिक समाज कल्याण राज्यों में यह लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया है।”बजट "प्रशासन का उपकरण" और एक व्यवस्थित वित्त का आधार होने के अलावा, यह अब सामाजिक और आर्थिक नीति का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन गया है। ग्लैडस्टोन ने कहा, "बजट केवल अंकगणित के मामले नहीं हैं बल्कि यह एक हजार तरीकों से व्यक्तियों की समृद्धि और राज्यों की ताकत की जड़ तक जाते हैं।" आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है और इस तरह बजट का उपयोग कल्याणकारी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में किया जाता है। हमारी सरकार द्वारा समाज के समाजवादी पैटर्न को अपनाने के साथ बजट के इस पहलू को और अधिक महत्व दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उत्पादन की योजनाओं को साकार करने के अलावा, सरकार का लक्ष्य अमीरों के लिए उच्च कराधान और आनुपातिक रूप से कम कराधान और कभी-कभी बजट के साधन के माध्यम से समुदाय के गरीब वर्ग के लिए छूट के द्वारा धन के वितरण में असमानताओं को ठीक करना है।

बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके व्यापक प्रभाव हैं। यह एक राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हर नागरिकों की दिलचस्पी रहती है। बजट से नागरिक जान सकते हैं कि उन्हें क्या लाभ मिलने वाले हैं और उन्हें कितना टैक्स देना होगा। बजट में सरकार की कराधान नीति वर्ग भेदों और असमानताओं को कम करने का कारण बन सकती है। बजट में परिलक्षित उत्पादन नीति गरीबी को दूर करने, बेरोजगारी को दूर करने और धन के गलत वितरण से बचने में मदद कर सकती है। यह मुद्रास्फीति की जांच कर सकता है और नागरिकों को सुरक्षा और आराम और खुशी के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में कहा जाय तो आधुनिक राज्यों में बजट के जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। यह एकमात्र राष्ट्रीय तुलन-पत्र से कहीं अधिक है।

लॉयड-जॉर्ज ने 1909 के अपने जन बजट में पहली बार सामाजिक कल्याण के लिए राजकोषीय साधन की संभावनाओं का उपयोग किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, "चार दर्शक गरीब वृद्धावस्था, दुर्घटना, बीमारी और बेरोजगारी को सताते हैं। हम उनका अभ्यास करने जा रहे हैं। हम भूख को चूल्हे से भगाने जा रहे हैं। हमारा मतलब है कि वर्कहाउस को देश के हर आदमी के क्षितिज से हटा देना चाहिए।"

अमीरों पर प्रगतिशील पैमाने पर कर लगाकर और आय का उपयोग गरीब वर्गों के लिए बेहतर आवास, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसी सामाजिक सुविधाओं को प्रदान करना, बजट के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। हमारी सरकार समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना के साधन के रूप में बजट के इस पहलू के प्रति सजग है।

● **बजट के प्रकार:-** बजटीय प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी हस्तक्षेप, सरकार के कल्याणकारी स्वरूप, देश हित आदि के आधार पर बजट के अनेक रूप होते हैं, जो अग्रलिखित हैं।

• आम बजट;- यह एक सामान्य किस्म का बजट है जिसमे समस्त आय और व्यय का लेखा-जोखा रहता है। बजट का यह स्वरूप अत्यन्त पारंपरिक होता है, इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्त्व उद्देश्य की अपेक्षा अधिक होता है। इसे पारंपरिक बजट भी कहते हैं। बदलते स्वरूप को देखते हुए बजट की यह प्रणाली भारत की समस्याओँ को सुलझाने एवं इसकी महत्वाकांक्षाओं क्रो प्राप्त करने में असफल रही। अत: बजट को इस रूप के स्थान पर निष्पादन बजट की आवश्यकता महसूस की गई।

• निष्पादक बजट:- बजट का वह स्वरूप जिसका निर्माण परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है वह निष्पादक बजट कहा जाता है। निष्पादक बजट (Performance Budget) में सरकार उपलब्धियों पर ध्यान रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उन पर खर्च किए जाने वाले सभी मदों का मूल्यांकन आदि किया जाता है। इसे उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। निष्पादक बजट का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। भारतीय संसद में पहली बार 25 अगस्त, 2005 को निष्पादक बजट वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

• आउटकम बजट:- आउटकम बजट एक नए प्रकार का बजट है। इसके अंतर्गत साधनों के साथ-साथ उन लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है, जिन्हें प्राप्त करना

आवश्यक माना जाता है। इस बजट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में मूल्यांकन किए जा सकने चाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि बजट के क्रियान्वयन को परखा जा सके। आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया हैं, जिसमे वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के संदर्भ में देखा जाना होता है। भारत में इसकी शुरूआत वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2005 में की थी।

• संतुलित बजट:- यह एक आदर्श बजट है, जिसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है, संतुलित बजट में विभिन्न क्षेत्रों का समान अनुपात में आवंटन किया जाता है तथा इसमें व्यय व प्राप्ति का अंतराल सीमित होता है, जिसके परिणामस्वरूप बजट के अनुमानित घाटे एवं वास्तविक घाटे में भी अंतर नहीं हो पाता।

• लैंगिक बजट:- वह बजट जो महिला और शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है उसे लैंगिक बजट कहा जाता है। यह बजट महिला विकास और सशक्तिकरण के योजनाओं के लिए राशि सुनिश्चित करता है।

• शुन्य आधारित बजट:- यह बजट गत वर्षों के आंकड़ों को आधार न मानकर शुन्य को आधार मानते हुए बनाया जाता है। इस बजट को तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलने लगता है। यह बढ़ते घाटे पर अंकुश लगाने में सहायक होता है।

• लाइन आइटम बजट:- यह बजट का परंपरागत रूप है। यह 18वीं-19वीं सदी में विकसित हुआ। इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्व अधिक होता है। उन मदों या वस्तुओं पर खर्च से क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस पर नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अपव्यय, अधिक खर्च और बर्बादी को रोकना है।

● संतुलित बजट के सिद्धांत:- बजट सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है। यह वह आधार है जिसके बिना स्थायी सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। एक **संतुलित बजट** बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अग्रलिखित हैं:

I. कार्यपालिकीय दायित्व :- चूंकि मुख्य कार्यकारी प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए वह यह कहने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होता है कि इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है।इसलिए, बजट तैयार करना मुख्य कार्यकारी का

कर्तव्य होना चाहिए। चुंकि बजट तैयार करना एक शानदार व कठिन काम है इसलिए उसे विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा सहायता और सलाह दी जानी चाहिए।
भारत में, वित्त मंत्रालय, इंग्लैंड में ट्रेजरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में बजट ब्यूरो, बजट-योजना में अपने-अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मदद करते हैं। संसदीय सरकार में, एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि 'कार्यपालिका की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती।'

सिद्धांत यह भी स्पष्ट कहता है कि संसद कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत मांगों को कम या अस्वीकार कर सकती है लेकिन वह उन्हें बढ़ा नहीं सकती है।

II. बजट का संतुलन :- बजट संतुलित होना चाहिए, यानी अनुमानित व्यय राजस्व या आय से अधिक नहीं होना चाहिए। जब किसी बजट में व्यय और राजस्व की मात्रा बराबर या लगभग इतनी ही होती है, तो इसे 'संतुलित बजट' कहा जाता है। यदि व्यय अनुमानित राजस्व से कम है तो यह एक 'अधिशेष बजट' है और यदि व्यय अनुमानित राजस्व से अधिक है, तो इसे 'घाटा बजट' कहा जाता है।

श्री पीके वट्टल कहते हैं,कि "बजट का संतुलन" वित्तीय स्थिरता की पहली आवश्यकता है।" हालांकि, कभी-कभार घाटे वाले बजट से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक विचार के नए रुझान कुछ परिस्थितियों में घाटे के बजट को न केवल क्षम्य मानते हैं, बल्कि आवश्यक भी है। उनके अनुसार, घाटे का बजट उन बीमारियों को ठीक कर सकता है जिनसे आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पीड़ित है। घाटा बजट अब विकासशील देशों के लिए एक सामान्य घटना बन गयी है। विकास योजनाओं की भारी लागत को पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। हालांकि, एक निश्चित बिंदु से अधिक घाटे वाले बजट में शामिल होना सुरक्षित नहीं है।

III. नकद अनुमान का आधार :- बजट के नकद आधार के सिद्धांत का अर्थ है कि इसे वर्ष के दौरान अपेक्षित वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, न कि उन प्राप्तियों के आधार पर जो कि कुछ अन्य वर्षों में वसूल की जानी है। जैसे- यदि वर्ष 1971-72 से संबंधित कर के बकाया के कारण कुछ राशि वर्ष 1972-73 में वसूल की जाती है, तो उन्हें प्राप्तियों के अनुमानों में दिखाया जाना चाहिए बाद का वर्ष और पूर्व का नहीं। इसी तरह, यदि किसी भुगतान के लिए दायित्व पूर्व वर्ष में किया गया था लेकिन वास्तव में बाद के वर्ष में पूरा किया गया था, तो इसे केवल बाद के वर्ष के व्यय में दिखाया जाना चाहिए।

IV. सकल आय न कि शुद्ध आय :- बजट में देश की शुद्ध आय नहीं, बल्कि सकल आय की स्पष्ट तस्वीर पेश की जानी चाहिए। प्राप्तियों और व्यय दोनों को पूरी तरह से बजट में दिखाया जाना चाहिए, न कि केवल परिणामी शुद्ध स्थिति में। यदि विभाग शुद्ध आधार पर अनुमान तैयार करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि वह रुपये के अनुदान के लिए विधायिका से संपर्क करेगा। विधायिका के पूर्ण वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए सकल बजट आवश्यक है।

V. यथासंभव सटीक अनुमान :- बजट में दिए गए अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए। न तो बहुत अधिक आकलन करना चाहिए और न ही कम आकलन करना चाहिए। सभी आवश्यक व्यय के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसके लिए प्रदान की गई राशि पूर्ण न्यूनतम होनी चाहिए। यदि व्यय का अधिक अनुमान है तो लोगों पर अनावश्यक रूप से भारी कर लगाया जाता है और यदि कम करके आंका जाता है, तो निष्पादन के समय पूरा बजट गियर से बाहर हो सकता है।

भारत में विभागों की ओर से अपनी आय को कम आंकने और अपने व्यय का अधिक अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है, हालांकि सभी मंत्रालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश हैं, कि उन्हें मितव्ययिता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और यथासंभव अपव्यय से बचना चाहिए। श्री अशोक चंदा के अनुसार, खर्च करने की क्षमता का अधिक अनुमान लगाने की यह प्रवृत्ति दो कारणों से उत्पन्न होती है, पहला यह माना जाता है कि वित्त मंत्रालय किसी भी मामले में अनुरोधित आवंटन को कम कर देगा और इसलिए, अधिक से अधिक मांगना बेहतर है और दूसरा, योजनाओं और बड़े प्रावधानों को शामिल करने से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों रूप से प्रायोजक मंत्रालयों में दक्षता और ऊर्जा की छाप पैदा होती है।

VI. वार्षिकता :- वार्षिकता का सिद्धांत बजट के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है।इसका अभिप्राय है कि बजट वार्षिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि विधायिका को कार्यपालिका को एक वर्ष के लिए धन देना चाहिए। एक वर्ष समय की एक उचित अवधि है, जिसके लिए विधायिका कार्यपालिका को वित्तीय अधिकार दे सकती है। यह न्यूनतम अवधि भी है जो वित्तीय कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है लेकिन बजट के वार्षिक होने का मतलब यह नहीं है कि कोई दीर्घकालिक योजना नहीं होनी चाहिए।

वे सभी देश जिन्होंने नियोजित विकास की नीति अपनायी है, उनके पास

दीर्घकालिक बजट है, लेकिन इन दीर्घकालिक योजनाओं में विधायिका द्वारा योजना की पूरी अवधि के लिए विनियोगों का वास्तविक उपयोग शामिल नहीं है, हालांकि इसे योजना को मंजूरी देने के लिए कहा जा सकता है।

VII. अवसान का नियम :- बजट का वार्षिक सिद्धांत यह भी दर्शाता है कि जिस वर्ष के लिए इसे स्वीकृत किया गया था, उस वर्ष के दौरान खर्च नहीं किया गया धन सार्वजनिक खजाने में समाप्त हो जाना चाहिए और सरकार इसे तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि अगले वर्ष के बजट में पुन: स्वीकृत नहीं किया जाता है। प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए अवसान का यह नियम आवश्यक है। यदि एक वर्ष का अव्ययित शेष भविष्य के वर्षों में व्यय के लिए किया जा सकता है, तो यह विभागों को तब तक विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि उनका संचित शेष खर्च नहीं हो जाता लेकिन यह नियम व्यय के किफायती नियोजन की दृष्टि से दोषपूर्ण है। विभाग, यह जानते हुए कि यदि वे अनुदानों का उपयोग नहीं करते हैं तो वे व्यपगत हो जाएंगे, उनके पास मितव्ययिता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा

हमारे देश में, केंद्र और राज्य सरकारें एक वर्ष या श्रृंखला के वर्षों के राजस्व से या अन्य सरकारों और बाहरी एजेंसियों द्वारा किए गए योगदान के अनुदान से, "खर्च करने के उद्देश्य से" आरक्षित या आरक्षित निधि का गठन कर सकती हैं। विशिष्ट और विशेष उद्देश्यों के लिए निधियों में संचित धन जिसके लिए उनका गठन किया गया है।"
वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर प्रशासनिक मंत्रालयों को आश्वासन दिया है कि जहां कहीं भी वैध कारणों से अनुदानों का पूर्ण सीमा तक उपयोग नहीं किया गया है, वित्त मंत्रालय आने वाले वर्ष के मूल बजट में या उस वर्ष में अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से अव्ययित राशियों के लिए प्रावधान आवंटित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार रहें, बशर्ते जिन उद्देश्यों के लिए इन राशियों को मूल रूप से स्वीकृत अनुदानों में शामिल किया गया था, वे अभी भी चल रहे हैं।

VIII. राजकोषीय नियंत्रण :- विधायिका सरकार को पैसा खर्च करने के लिए अधिकृत करती है लेकिन यह उन्हें यह निर्देश नहीं देती है कि इसे कैसे खर्च किया जाए।यह सरकार का ही काम है। इंग्लैंड में ब्रिटिश राजकोष के कामकाज में निर्देशन और आंतरिक नियंत्रण की सबसे अच्छी प्रणाली देखी जा सकती है, जहां यह न केवल बजट तैयार करने के संबंध में है, बल्कि संचालन हेतु वित्तीय प्रवाह पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण भी करता है।

IX. प्रचार/प्रकाशन := बजट जनता के लिए बनता है और जनता ही उससे प्रभावित होती है अतः यह आवश्यक है कि बजट की विभिन्न अवस्थाओं का पर्याप्त प्रचार या प्रकाशन होना चाहिए ताकि जनता बजट में प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में अपना बहुमूल्य सुझाव दे सके।

X. व्यय पर विधायिका का नियंत्रण:- कोई भी राजकीय व्यय राज्य की विधायिका की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सरकारी खर्च के लिए संसदीय स्वीकृति जरूरी है। भारतीय संविधान के अनु. 226 में भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाली सारी आमदनी, सभी प्रकार के ऋणों के भुगतान के रूप में प्राप्त धनराशि केंद्र या राज्य सरकार की संचित निधि में ही जमा की जाएगी। इस निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक किसी कानून द्वारा उसकी स्वीकृति न ली गई हो।

XI. लोचशीलता:- बजट बनाते समय इस तथ्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बजट का स्वरूप लचीला हो ताकि लोगों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार उसने बदलाव किया जा सके।

XII. स्पष्टता:- बजट की रूपरेखा स्पष्ट, सरल तथा सुगम होनी चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक उसको सहजतापूर्वक समझ सके। उसकी भाषा सुगम तथा सुबोध होनी चाहिए। भाषा क्लिष्ट होने पर बजट के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

XIII. परिशुद्धता:- किसी भी देश के बजट का अनुमान या प्राक्कलन यथासंभव शुद्ध होना चाहिए। तथ्यों को छिपाना या जानबूझकर राजस्व का कम अनुमान लगाना या गलत आंकड़े की प्रस्तुति से अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो सकती है।

XIV. व्यापकता:- किसी भी बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर यथोचित प्रकाश डाला जाना चाहिए। सरकार के आय-व्यय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। साधारणत: वही बजट श्रेष्ठ या सफल माना जाता है जिसमें व्यापकता के पर्याप्त गुण मौजूद हो।

XV. एकता:- एकता का अभिप्राय यह है कि शासन के सभी विभागों की आय तथा

व्यय का एक ही बजट होना चाहिए। यदि प्रत्येक विभाग अपना-अपना बजट रखेंगे तो उनमें से कुछ घाटे का तो कुछ मुनाफे का बजट दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में शासन की **वित्तीय स्थिति** निर्बल हो जाएगी। इस जटिलता में देश की अर्थव्यवस्था का सही अनुमान लगाना असंभव हो जाएगा। एकल बजट लोगों को समग्र रूप से सरकार के वित्तीय लेनदेन की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत में बजट की एकता के सिद्धांत का पालन किया गया है।

XVI. **मितव्ययिता:-** सार्वजनिक धन के रूप में एक पैसे का भी अनावश्यक खर्च, दुरुपयोग या बर्बादी नहीं होना चाहिए। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मितव्ययिता जरूरी है।

वित्तीय प्रशासन के अभिकरण:

• कार्यपालिका
• विधानपालिका
• वित्त विभाग
• शासन के विभिन्न विभाग
• संसदीय समितियां
• लेखा परीक्षण विभाग
• भारतीय रिजर्व बैंक

✍️डॉ. कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
एल.एन. डी. कॉलेज, मोतिहारी
पूर्वी चंपारण (बिहार)